

19/9/24

पत्रिका पेडा दुई/ यात्री व वहील यात्री
उपस्थित नहीं/ यात्री का दावा अंशम एअर
अंशम पैरवी में खारिज किया जा चुका
है। अब इस यात्री-पत्र 212 RTA का
कोई अर्थ नहीं/ आज यात्री का
यात्री-पत्र 212 RTA के अंतर्गत
खारिज किया जाता है/

सप्लाइ अधिकारी
नवदई (मराठपुर)

